संख्या-2193/69-1-98-01 (एस.जे.)/97

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीब उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मस्टर रोल के संबंध में कार्यकारी निर्देश।**

महोदय,

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला नगरीय विकास अभिकरणों के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन मस्टर रोल पर किया जाना है। कोई भी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित नहीं कराये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में शासनादेश संख्या-725ए/69-1-2 (सी.)/98, दिनांक 18.4.98 द्वारा जनपदों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत सभी कार्यों के लिए मस्टर रोल में प्राविष्टियां होनी चाहिए तथा उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/भूमिहीन तथा महिला मजदूरों की संख्या दर्शायी जानी चाहिए। मस्टर रोल तैयार करने वाले संबंधित डूडा जनपद के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी इन प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी होंगे। मस्टर रोल सिले होने चाहिए तथा सभी पृष्ठों पर क्रमांक अंकित होना चाहिए।

संबंधित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी मस्टर रोल के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा, साप्ताहिक भुगतान के समय अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य के लिए रोजगार सृजन तथा कुल सृजित रोजगार को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र मस्टर रोल पर रिकार्ड करेगा। भूमिहीन/महिला मजदूरों के लिए सृजित श्रम दिवसों की कुल संख्या भी अलग से दर्शायी जानी

संख्या-2193/69-1-98-01 (एस.जे.)/97

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीब उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मस्टर रोल के संबंध में कार्यकारी निर्देश।**

महोदय,

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला नगरीय विकास अभिकरणों के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन मस्टर रोल पर किया जाना है। कोई भी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित नहीं कराये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में शासनादेश संख्या-725ए/69-1-2 (सी.)/98, दिनांक 18.4.98 द्वारा जनपदों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत सभी कार्यों के लिए मस्टर रोल में प्राविष्टियां होनी चाहिए तथा उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/भूमिहीन तथा महिला मजदूरों की संख्या दर्शायी जानी चाहिए। मस्टर रोल तैयार करने वाले संबंधित डूडा जनपद के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी इन प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी होंगे। मस्टर रोल सिले होने चाहिए तथा सभी पृष्ठों पर क्रमांक अंकित होना चाहिए।

संबंधित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी मस्टर रोल के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा, साप्ताहिक भुगतान के समय अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य के लिए रोजगार सृजन तथा कुल सृजित रोजगार को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र मस्टर रोल पर रिकार्ड करेगा। भूमिहीन/महिला मजदूरों के लिए सृजित श्रम दिवसों की कुल संख्या भी अलग से दर्शायी जानी